

1 अपराधिक प्रकरण क्रमांक - 87/2016

न्यायालय:- प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-87/2016

संस्थित दिनांक:-03/03/16

शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, गोहद
जिला-भिण्ड म0प्र0

अभियोजन

बनाम्

1. पूरन पुत्र द्वारिका प्रसाद जाटव उम्र 20 साल
निवासी चंबल कॉलौनी, गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

अभियुक्त

(आरोप अंतर्गत धारा- 25 (1-बी) (बी) आयुद्ध अधिनियम)

(राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपी द्वारा अधि0 श्री अशोक जादौन)

// निर्णय //

// आज दिनांक 21/02/17 को घोषित किया //

आरोपी पर दिनांक 04/02/16 को 12:30 बजे चंबल कॉलौनी गोहद जिला भिण्ड में लोक स्थान पर आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र. 6312-6552-11-बी(1) दिनांक 22/11/1974 के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04/02/16 को पुलिस थाना गोहद के प्रधान आरक्षक देवेन्द्रसिंह को दौराने कस्बा गश्त चंबल कॉलौनी गोहद में आरोपी पूरन एक लोहे की छुरी लिए हुए मिला था। आरोपी के पास छुरी रखने बावत् लाईसेंस नहीं था। आरोपी से मौके पर ही छुरी जप्त कर जप्ती पंचनामा एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी थी। तत्पश्चात थाना वापस आकर उसने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 37/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर

2आपराधिक प्रकरण क्रमांक – 87/2016

प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्तानुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपी को आरोपित आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है

5. **इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है—**

1. क्या आरोपी ने दिनांक 04/02/16 को 12:30 बजे चंबल कॉलौनी गोहद जिला भिण्ड में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निषेधित आकार की लोहे की छुरी अपने आधिपत्य में रखी?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी रामस्वरूप अ.सा. 1, राकेश अ.सा. 2 एवं प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

{ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण }

विचारणीय प्रश्न क0-1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में जप्तीकर्ता प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 04.02.2016 को वे पुलिस थाना गोहद में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को दौरान कस्बा गस्त चंबल कॉलौनी गोहद में डाक बंगले के पास पहुंचे तो उसे एक व्यक्ति छुरी लिए हुए मिला था। नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम पूरान बताया था। आरोपी के पास छुरी रखने बाबत लाइसेंस नहीं था, उसने मौके पर ही आरोपी से छुरी जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 बनाया था, जिस पर सी से सी भाग पर उसके

3 अपराधिक प्रकरण क्रमांक – 87/2016

हस्ताक्षर हैं। उसने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 2 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् वह माल व आरोपी को थाना वापस लेकर आया था, रोजनामचा वापसी प्र0पी0 03 है, जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना वापस आकर उसने आरोपी के विरुद्ध प्रदर्श पी 4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए1 की छुरी वही छुरी है, जो उसने मौके पर आरोपी से जप्त की थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 03 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को गश्त के लिए उसके साथ आरोपी रायसिंह भी रवाना हुआ था। वह आज नहीं बता सकता कि वह थाने से कितने बजे गश्त के लिए निकले थे। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वापसी सान्हा पर उसके वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। वह थाने से रवाना होकर गश्त करते हुए चंबल कॉलौनी डाक बंगले के पीछे पहुंच गए थे, वहीं उसे आरोपी छुरी लिए हुए मिला था। आरोपी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-1 के फल की लंबाई 10 अंगुल एवं हत्ते की लंबाई 8 अंगुल थी। उसके द्वारा जप्तशुदा छुरी को मौके पर सीलबंद नहीं किया था केवल जप्ती चिट लगाई गई थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामा के कॉलम नं0 13 में जिस सील का नमूना लगा है, वह सील नमूना आर्टिकल ए-1 में अंकित नहीं है। पद क्रमांक 04 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्तीपंचनामा प्र0पी0 01 पर आरोपी के जो हस्ताक्षर हैं उनमें एवं आर्टिकल ए-1 की छुरी पर लिये गये आरोपी के हस्ताक्षरों में भिन्नता है। उसने साक्षियों को बाद में घटना स्थल पर बुलवाया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब उसने आरोपी पूरन को पकड़ा था, तब वह लोग नहीं थे।

08. साक्षी रामस्वरूप अ0सा0 01 एवं राकेश अ0सा0 2, जिन्हें अभियोजन कहानी के अनुसार जप्ती की कार्यवाही का स्वतंत्र साक्षी बताया गया है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। साक्षी रामस्वरूप अ0सा0 1 ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र0पी0 01 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 02 पर क्रमशः ए से ए भाग पर तथा साक्षी राकेश अ0सा0 02 ने जप्तीपंचनामा प्र0पी0 01 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 02 के क्रमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किए जाने पर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

9. तर्क के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

4 अपराधिक प्रकरण क्रमांक – 87/2016

10. प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी रामस्वरूप अ०सा० 01 एवं राकेश अ०सा० 02 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त दोनों साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया गया है। आरोपी के विरुद्ध मात्र जप्तीकर्ता प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ०सा० 03 के कथन शेष है। ऐसे में प्रकरण में आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह गश्त करने चम्बल कॉलोनी बंगले के पास गया था तो वहां उसे आरोपी पूरन छुरी लिये हुये मिला था, परंतु उक्त संबंध में कोई रोजनामचा रवानगी सान्हा अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रदर्श पी 3 रोजनामचा वापसी की प्रतिलिपि है। अभियोजन द्वारा रोजनामचा सान्हा को विधि अनुसार मूल रोजनामचा मंगाकर प्रदर्शित नहीं कराया गया है इसके अतिरिक्त रोजनामचा रवानगी सान्हा अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

12. देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए1 की छुरी वही छुरी है जो उसने आरोपी से मौके पर जप्त की थी, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए1 की छुरी के फल की लम्बाई 10 अंगुल एवं हत्ते की लम्बाई 8 अंगुल है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 के जप्तशुदा छुरी के फल की लम्बाई 6 अंगुल एवं हत्ते की लम्बाई 6 अंगुल लेख है, परंतु देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए1 के फल की लम्बाई 10 अंगुल तथा हत्ते की लम्बाई 8 अंगुल है। इस प्रकार आर्टिकल ए1 की लम्बाई एवं जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 में कथित जप्तशुदा छुरी की लम्बाई में भिन्नता है इसके अतिरिक्त देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 के कॉलम नं. 13 में जो शील नमूना लगा है वह शील नमूना आर्टिकल ए1 पर अंकित नहीं है तथा यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 पर जो आरोपी के हस्ताक्षर हैं उनमें एवं आर्टिकल ए1 पर अंकित आरोपी के हस्ताक्षरों में भिन्नता है।

13. इस प्रकार देवेन्द्र सिंह के कथनों से यह प्रकट होता है कि आर्टिकल ए1 की लम्बाई एवं जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 में वर्णित कथित जप्तशुदा छुरी की लम्बाई में भिन्नता है। आर्टिकल ए1 पर शील नमूना भी अंकित नहीं है एवं आर्टिकल ए1 पर अंकित आरोपी के हस्ताक्षर तथा जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 पर लिये गये आरोपी के हस्ताक्षरों में भी भिन्नता है। जप्तशुदा छुरी को मौके पर

5 अपराधिक प्रकरण कमांक – 87/2016

शीलबंद भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यही संदेहास्पद हो जाता है कि आर्टिकल ए1 की छुरी वही छुरी है जो मौके पर आरोपी से जप्त की गयी थी। उक्त विसंगतियां अत्यंत तात्विक हैं जो सम्पूर्ण जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देती हैं।

14. देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसने जप्तशुदा छुरी को मौके पर शीलबंद नहीं किया था। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने जप्ती के साक्षियों को बाद में घटना स्थल पर बुलाया था तथा यह भी स्वीकार किया है कि जब उसने आरोपी पूरन को पकड़ा था तब उक्त साक्षीगण नहीं थे इस प्रकार देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि साक्षी रामस्वरूप अ.सा. 1 एवं राकेश अ.सा. 2 के समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुयी थी उक्त साक्षीगण के अनुसार आरोपी से छुरी जप्त नहीं की गयी थी। उपरोक्त सभी तथ्य जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देते हैं।

15. जप्तीकर्ता देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि वह घटना वाले दिन राय सिंह के साथ कस्बा गश्त के लिए रवाना हुआ था, परंतु रायसिंह को प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है। उक्त साक्षी यह भी बताने में असमर्थ रहा है कि वह घटना वाले दिन थाने से कितने बजे गश्त के लिए रवाना हुआ था। उक्त संबंध में रवानगी सान्हा भी अभियोजन द्वारा अभिलेख में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त सभी तथ्य सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देते हैं।

16. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित होता है कि प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 के कथने अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभाषी रहे हैं। उक्त साक्षी के कथन जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 से भी विरोधाभाषी रहे हैं। स्वतंत्र साक्षियों द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। जप्तशुदा छुरी को मौके पर शीलबंद भी नहीं किया गया है। जप्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद है। प्रकरण में रोजनामचा रवानगी सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

17. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

18. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक आरोपी ने दिनांक 04/02/16 को 12:30 बजे चम्बल कॉलोनी गोहद जिला भिण्ड में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के

6आपराधिक प्रकरण क्रमांक – 87/2016

उल्लंघन में एक निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखी। फलतः यह न्यायालय आरोपी पूरन को संदेह का लाभ देते हुए आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (बी) के आरोप से दोषमुक्त करती है।

19. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

20. प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोड़-तोड़ कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावें।

स्थान:- गोहद,

दिनांक:-21.02.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)